प्रेस प्रकाशनी

जुलाई 2010

मेसर्स ग्रीनबे फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

1 जुलाई 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए मेसर्स ग्रीनबे फाइनेन्स एण्ड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट सं. 15 एण्ड 16, रोड नं. 9, जुबिली हिल्स, हैदराबाद - 500 033 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 7 जून 2010 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है। पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइए (6) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी का कारोबार भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आइ के खण्ड (क) में परिभाषित किया गया है।

जूम एक्सपोर्टस् लिमिटेड का पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किया गया

1 जुलाई 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार करने के लिए जूम एक्सपोर्टस् लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 98, हार्डसॉफ्ट टॉवर्स, 21वाँ मेन, बाणशंकरी दूसरा स्टेज, बंगलूर - 560 070 है, को जारी किया गया पंजीकरण प्रमाणपत्र दिनांक 3 जून 2010 को रद्द कर दिया है क्योंकि कंपनी ने गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था के कारोबार से हटने का विकल्प चुना है।

पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के बाद कंपनी, गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार नहीं कर सकती है।

वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया

1 जुलाई 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(क)(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए वसई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, ठाणे, महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण 5.00 लाख रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है।

i) किसी निदेशक संबंधित फर्म का चालू खाता खोलते समय अपने ग्राहक को जानिए मानदण्डों का पालन नहीं करने।

ii) निदेशक संबंधित फर्म को गैर-जमानती अग्रिम की स्वीकृति।

iii) अनुमत सीमा से अधिक की चेक खरीद।

iv) अनुमत सीमा से अधिक गैर-जमानती अग्रिम की अनुमति।

v) एक्सपोज़र सीमा से अधिक सीमा की अनुमति।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर और की गई कार्रवाई के आधार पर रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और उस पर दंड लगाया जाना है। तदनुसार, बैंक पर दण्ड लगाया गया।

रिजर्व बैंक ने विजियानगरम को-ऑपरेटिव बैंक लि.,विजियानगरम, आंध्र प्रदेश का लाइसेंस रद्द किया

20 जुलाई 2010

विजियानगरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.,विजियानगरम (आंध्र प्रदेश) का परिचालन जमाकर्ताओं तथा आम जनता के हित में न होने, बैंक की वित्तीय स्थिति खराब होने तथा भविष्य में उसके पुनरुज्जीवन की कोई आशा न होने, आंध्र प्रदेश सरकार के विचार विमर्श से विनियामक अनुपालन के सभी प्रयास विफल होने तथा सतत अनिश्चितता के कारण जमाकर्ताओं को होनेवाली असुविधा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 जून 2010 को कारोबार की समप्ति के बाद बैंक को दिया गया लाइसेंस रद्द करने का आदेश जारी किया। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार, आंध्र प्रदेश राज्य को बैंक के समापन और उसके लिए समापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है। उल्लेख किया जाता है कि बैंक के समापन पर हर जमाकर्ता निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआइसीजीसी) से 1,00,000 (एक लाख रुपये मात्र) रुपये की मौद्रिक सीमा तक अपनी जमाराशियों को वापस पाने का हकदार होता है।

लाइसेन्स रद्द किये जाने के अनुसरण में विजियानगरम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., विजियानगरम आंध्र प्रदेश) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी सोसायटियों पर यथालागू) की धारा 5(ख) के अंतर्गत जमाराशियां स्वीकार करने और उन्हें वापस लौटाने सहित बैंकिंग कारोबार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

किसी भी स्पष्टीकरण के लिए जमाकर्ता श्री बी.डी.प्रसाद राव, महाप्रबंधक, शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद से सपर्क कर सकते हैं। उनका संपर्क ब्यौरा निम्नानुसार है :

डाक पता : शहरी बैंक विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद - 500004, टेलीफोन नंबर : (040) 2323 4920, फैक्स नंबर : (040) 2323 5891।

भंडारी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दादर, महाराष्ट्र पर दण्ड लगाया गया

29 जुलाई 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47क (1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए भंडारी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, दादर, महाराष्ट्र पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण 5.00 लाख रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। बैंक ने :

i. सकल पक्ष/सम्मिलित समूह को गैर-जमानती अग्रिमों की अधिकतम सीमा पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए 10.00 करोड़ रुपये से अधिक मांग और मीयादी देयताओं (डीटीएल) वाले ग्रेड IV बैंकों के लिए निर्धारित 50,000/- रुपये की सीमा से अधिक गैर-जमानती ऋण स्वीकृत किया है।

ii. बैंक ने आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आइआरएसी) तथा अन्य संबंधित मामलों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनर्जक ऋणों को बंद करने के द्वारा खातों का ऋण सातत्य बनाए रखने का प्रयत्न भी किया है।

रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था,जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर और की गई कार्रवाई के आधार पर रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन सबित हो गया है और उस पर दंड लगाया जाना है। तदनुसार, बैंक पर दण्ड लगाया गया।

स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर दण्ड लगाया गया

30 जुलाई 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(क)(1) (ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 5.00 लाख रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। यह दण्ड एक अपतटीय, विशेष प्रयोजन सुविधा (एसपीवी) को स्टेंडर्ड चार्टर्ड बैंक द्वारा दी गई विदेशी मुद्रा ऋण सुविधा के संबंध में निर्धारित समय में जानकारी उपलब्ध नहीं कराने के कारण लगाया गया। इससे अधिनियम की धारा 27(2) के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को 30 मार्च 2010 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक से प्राप्त लिखित उत्तर की सावधानीपूर्वक जाँच करने के बाद और 20 अप्रैल 2010 को की गई व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुती के आधार पर रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और उस पर दंड लगाया जाना है। तदनुसार, बैंक पर दण्ड लगाया गया।

आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड पर दण्ड लगाया गया

30 जुलाई 2010

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(क)(1)(ख) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड पर 5.00 लाख रुपये (पांच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। यह दण्ड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 24 नवंबर 2004 को जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी)/धन शोधन निवारण (एएमएल) मानकों पर दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को 9 अप्रैल 2009 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर की सावधानीपूर्वक जाँच करने के बाद और 3 अगस्त 2009 को की गई व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुती के आधार पर रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और उस पर दंड लगाया जाना है। तदनुसार, बैंक पर दण्ड लगाया गया ।